

Government of Bihar
Food and Consumer Protection Department

Notification

G.S.R. _____ Patna, Dated _____

In exercise of the powers conferred by section-3 of the Essential Commodities Act 1955 (Central Act 10 of 1955) read with the order of the Government of India in the ministry of Consumer Affair, Food and Public Distribution published under order No.- 654(E) Dated 30th March, 2011 and in view of Removal of (Licensing Requirements, Stock Limit and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs (Amendment) order 2011, with prior concurrence of Government of India, in the words and expressions used in respect of purchase, movement, sale, supply, distribution or storage for sale in the Removal of (Licensing Requirements Stock Limits and Movement Restrictions) on Specified Foodstuffs order 2002 shall be kept in abeyance for commodities, namely, **Edible Oil and Edible Oilseed** for a further period upto **30th September, 2011**, from the date of commencement of this order.

4. The deletion of **Edible Oil and Edible Oilseed** from schedule -1, in Bihar Trade Article (Licences Unification) order-1984 vide departmental notification no. 2354, dated 15th July, 2003 shall be kept in abeyance upto **30th September, 2011**.
5. The validity of the departmental notification issued vide memo no. 6971 dated 06.12.2010 is extended upto **30th September, 2011**.
4. Previously issued corresponding notifications/orders shall deem to be amended upto this extent.
5. This notification shall come into force at once.

(Pra/04-aa-01/09-Part-III)
By order of the Governor of Bihar



(Krishna Chandra Jha)
Additional Secretary to the Govt. of Bihar

ज्ञापक- ५०४-आ०-०१/२००९(खण्ड-III)-2596 दिनांक- 13.04-2011

प्रतिनिधि:- अधीक्षक, सांख्यिक, सर्वोच्च, गृहकार्य, पटना की अर्थी अर्थात् सांख्यिक एवं विहार गजट के अध्याय ३ में अतिरिक्त प्रकाशनायक अर्थात् है कि उक्त प्रकाशित गजट की २०० प्रतियां अधीक्षक/अधीक्षक की शीघ्र उपलब्ध करने की कृपा की जाय ।

13/4/11

सरकार के अधीन

5. यह अधिसूचना तत्कालिक प्रभाव से लागू होगी ।

(५०४/आ०-०१/०९(खण्ड-III) विहार राज्यपाल के आदेश से)

13/4/11

(कृष्ण चन्द्र झा)

सरकार के अधीन

4. तत्सम्बन्धी निर्गत पूर्व अधिसूचनाएँ/आदेश को इस हद तक संशोधित समझा जाय ।
5. विभागीय अधिसूचना ज्ञापक 6971 दिनांक 06.12.2010 द्वारा निर्गत आदेश का दिनांक 30 सितम्बर, 2011 तक के लिए विस्तारित किया जाता है ।
4. विभागीय अधिसूचना ज्ञापक 2354 दिनांक 15.07.2003 द्वारा विहार व्यापारिक वर्ग (अनुशा पत्र एकोकरण) आदेश 1984 की अनुसूची-1 से 'खाद्य तेल एवं खाद्य तेलहन' को विभाजित किया जाने संबंधी आदेश का भी 30 सितम्बर, 2011 तक के लिए प्राथम्यता में रखा जाएगा ।

जाएगा ।

एवं खाद्य तेलहन को 30 सितम्बर, 2011 तक की अवधि के लिए प्राथम्यता में रखा या विक्रय के लिए भंडारण के बावत प्रत्यक्ष शब्दाँ और पदों को वर्ग अर्थात् खाद्य तेल सीमा और संवर्धन निर्बंधन) हटाना आदेश-2002 में क्रय, संवर्धन, विक्रय, प्रदाय, विवरण राज्यपाल के आदेश से विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन सम्बन्धी अध्याय, स्टॉक प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार की पूर्व सहमति से विहार साथ पठित आवश्यक वर्ग अधिनियम 1955 (1955 का अधिनियम-10) की धारा-3 द्वारा सम्बन्धी अध्याय, स्टॉक सीमा और संवर्धन निर्बंधन) हटाना (संशोधन) आदेश, 2011 के संख्या- 654(अ) दिनांक 31 मार्च, 2011 से निर्गत विनिर्दिष्ट खाद्य पदार्थों से (अनुज्ञापन (खाद्य एवं सांख्यिक विवरण एवं उपभोग) मामलें विभाग) के प्रकाशित आदेश का 10 आ० भारत सरकार के उपभोग मामलें, खाद्य और सांख्यिक विवरण मंत्रालय

जो एच० आर० पटना / दिनांक

विहार सरकार

खाद्य एवं उपभोग संरक्षण विभाग

आदेशना

सरकार के अपर सचिव ।

[Handwritten signature]
13/04/11

प्रतिनिधि:- सर्वना पट्ट, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना ।
ज्ञापक- 804-आ10-01/2009(खण्ड-III) 2596 दिनांक- 13.04.2011

सरकार के अपर सचिव ।

[Handwritten signature]
13/04/11

प्रतिनिधि:- मुख्य सचिव, बिहार, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना/मानवीय मंत्री, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के आल सचिव, बिहार, पटना/प्रबन्ध निदेशक, बिहार राज्य खाद्य निगम, बिहार, पटना/महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, पटना/सर्वप्रधान सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली ।
ज्ञापक- 804-आ10-01/2009(खण्ड-III) 2596 दिनांक- 13.04.2011

सरकार के अपर सचिव ।

[Handwritten signature]
13/04/11

प्रतिनिधि:- सरकार के सभी सचिव/आयुक्त एवं सचिव/सभी प्रमुखनीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निदेशक, सर्वना एवं जन समर्क विभाग, बिहार, पटना/बिहार पटना अन्वयन, पटना/सभी जिला आर्पति पदाधिकारी/सभी अन्वयन पदाधिकारी/सभी सहायक जिला आर्पति पदाधिकारी/सभी प्रखण्ड आर्पति पदाधिकारी/सभी पञ्च पदाधिकारी/सभी आर्पति निरीक्षक/प्रशाखा पदाधिकारी-6, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना/महाप्रबन्धी, बिहार आर्पति सेवा सच, मध्य लोक, पटना/श्री श्रीकाल लाम, महाप्रबन्धी, बिहार कचर प्रोडस डीलर असासिस्टेडन, सिखना पहाड़ी, पटना-4/डाली बन्द यादव, महाप्रबन्धी, बिहार प्रद्वेश जन वितरण प्रणाली दूकानद्वार सच, गायवाट, पटना को सर्वना एवं आवश्यक कारोबार है हेतु प्रेषित ।
ज्ञापक- 804-आ10-01/2009(खण्ड-III) 2596 दिनांक- 13.04.2011